

प्रेषक,

भानु चन्द्र गोस्वामी,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देवरिया।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21-04-2025

विषय:- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-32178/2023 श्रीमती चम्पा देवी बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में योजित रिव्यू याचिका संख्या-410/2024 उ०प्र० राज्य व 5 अन्य बनाम श्रीमती चम्पा देवी में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय के अधीन रिट कोर्ट के निर्णय दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन में स्व० कमलेश सिंह यादव के आश्रितों को ₹ 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1149/आपदा-2024 दिनांक 01 फरवरी, 2024 एवं पत्र संख्या-1479/आपदा-2024 दिनांक 13 सितम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत स्व० कमलेश सिंह यादव, मुख्य आरक्षी, पुलिस विभाग, जनपद- देवरिया के आश्रितों को ₹ 50.00 लाख की अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-32178/2023 श्रीमती चम्पा देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

Considering the facts and circumstances, once the claim of the petitioner has already been processed by the concerned authority vide letter dated 20.3.2023 and similar benefits have also been extended to the dependents of three deceased police personnel, whose names have been mentioned in the said letter, we are not inclined to keep this petition pending consideration and we deem it appropriate to direct the concerned authority to ensure release of ex-gratia compensation in favour of the petitioner within three weeks from today.

With the aforesaid direction, this writ petition stands disposed of.

3- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च

न्यायालय में रिव्यू याचिका संख्या-410/2024 उOप्रO राज्य व 5 अन्य बनाम श्रीमती चम्पा देवी योजित की गयी है। माO उच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू याचिका में कोई अन्तरिम स्थगन आदेश/अन्तिम निर्णय नहीं पारित किया गया है। इस प्रकार माO उच्च न्यायालय में उक्त रिव्यू याचिका लम्बित है।

4- माO उच्च न्यायालय में रिट याचिका में पारित उक्त निर्णय दिनांक 03.10.2023 का अनुपालन न किये जाने का कथन करते हुए माO उच्च न्यायालय में याची द्वारा अवमानना याचिका संख्या-3903/2024 श्रीमती चम्पा देवी बनाम श्री पीO गुरूप्रसाद, प्रमुख सचिव, राजस्व व 02 अन्य योजित की गयी है, जिसमें माO उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2025 को निम्नलिखित आदेश किया गया है:-

The Standing Counsel has not received any instructions in the matter.

A last opportunity of two weeks is granted to the Principal Secretary, Department of Revenue, Government of Uttar Pradesh, Lucknow and the Relief Commissioner, Government of Uttar Pradesh, Lucknow to comply with the order passed by this Court.

Issue fresh notices to the Principal Secretary, Department of Revenue, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, the Relief Commissioner, Government of Uttar Pradesh, Lucknow and the District Magistrate / Chairman, District Disaster Management Authority, Deoria, District Deoria fixing 22nd April, 2025 on which date the noticed officers shall either file their compliance affidavits showing full compliance of the order passed by this Court by payment of compensation to the applicant as stipulated in the order of this Court or shall be personally present in the Court for framing of charges.

5- माO उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयों एवं जिलाधिकारी देवरिया द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त सिविल मिस रिट याचिका संख्या-32178/2023 श्रीमती चम्पा देवी बनाम उOप्रO राज्य सरकार व अन्य में माO उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के विरुद्ध माO उच्च न्यायालय योजित रिव्यू याचिका संख्या-410/2024 उOप्रO राज्य व 5 अन्य बनाम श्रीमती चम्पा देवी में माO उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय के अधीन रिट कोर्ट के निर्णय दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन का निर्णय लिया गया है।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल मिस रिट याचिका संख्या-32178/2023 श्रीमती चम्पा देवी बनाम उOप्रO राज्य सरकार व अन्य में माO उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के विरुद्ध माO उच्च न्यायालय योजित रिव्यू याचिका संख्या-410/2024 उOप्रO राज्य व 5 अन्य बनाम श्रीमती चम्पा देवी में माO उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय के अधीन माO उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03.10.2023 का अनुपालन उक्त शर्त के क्रम में करते हुए स्वO कमलेश सिंह यादव, मुख्य आरक्षी, पुलिस विभाग जनपद देवरिया की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक कार्मिक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए

शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष-2025-26 में ₹0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, देवरिया के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
 2. राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की इयूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
 3. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
 4. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला सूत्र पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahaat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
 5. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
 6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रसूतर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
 7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 50 ,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
सचिव।

—
—
—

संख्या-442(1)/एक-10-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 5- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग 30प्र0 शासन ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
सचिव।

Signed by
Bhanu Chandra Goswami
Date: 21-04-2025 19:31:09

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-21/04/2025

प्रेषण संख्या:- 442
आवंटन आदेश संख्या:- 001-442
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, -01-	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी